



अररिया समाहरणालय  
(आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

दूरभाष सं० : 06453-222001(का०)  
06453-222102(आ०)  
फैक्स सं० : 06453-222124  
Email : dm-araria.bih@nic.in

अल्पकालीन निविदा सूचना

सम्भावित बाढ़-2016 की पूर्व तैयारी के मद्देनजर नाव की आवश्यकता होगी, जिसके दर निर्धारण एवं आपूर्ति के लिये इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं से सील बंद लिफाफा में तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदाताओं को जिलाधिकारी, अररिया के पदनाम से मो०-10,000/- (दस हजार) रु० जमानत की राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में या नगद जिला नजारत प्रशाखा, अररिया में जमा करना होगा। अल्पकालीन निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30.06.2016 के अपराह्न 1:00 बजे तक होगी। प्राप्त निविदाएँ उसी दिन अपराह्न 3:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें स्वयं निविदादाता या उसके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। आवश्यक सामग्रीयों की सूची निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	नाम का प्रकार	साईज	नाव की विशिष्टतियाँ	लकड़ी का प्रकार	अन्य विवरण
1	बड़ी नाव	25'X6'X2'	1. नीचे तरी-तख्ता-मोटाई 1.25 इंच 2. तारी की चौड़ाई- 72 इंच (06 फीट) 3. तरी की लम्बाई- 20 फीट 4. तरी पर सपोर्ट मोटाई- 4" X 2" 14 पीस 5. बगली-तख्ता की मोटाई-1 इंच-26'X2' X' (दोनों साईड) 6. बगली दिवाल-तख्ता पर सपोर्ट की मोटाई-4" X 2"(दोनों साईड)-14 पीस 7. बगली के दोनों साईड बंधन बती-उपरी भाग-3"X1.25" (दोनों साईड) 8. रस्सी बाँधने वाला खुंटा- 3" X 2.5" 02 पीस 9. मलाह मांग पाटन दोनो साईड-तख्ता 01 इंच नीचे सपोर्ट 4"X2" दोनो साईड (05 फीट लम्बाई में) 10. उपरी भाग सपोर्ट (गुरहा)-4" X 2" 04 पीस 11. आगे-पीछे मांग 6"X4"X3.5' 02 पीस	पूर्णरूपेण सखुआ-100%	दर प्रति नाव अंकित होगा

निविदा की आवश्यक शर्तें:-

- निविदादाताओं में से स्वीकृत निविदादाता को इस आशय का एकरारनामा करना होगा कि आपूर्ति आदेश के एक माह के भीतर स्वीकृत साईज यथा बड़ी नाव में बगली 22 इंच, पेट 06 फीट, गूथ 3/4 इंच बांस तल्ली 2 से 3 इंच लकड़ी 2 इंच का दर के अनुरूप गुणवत्ता एवं संख्या के अनुसार नाव की आपूर्ति संबंधित अंचल मुख्यालय में करना होगा। इसके लिये अलग से परिहवन भाड़ा देय नहीं होगा। नावों में प्रयुक्त लकड़ी की गुणवत्ता की जाँच वनों के क्षेत्र पदाधिकारी (लकड़ी विशेषज्ञ) द्वारा की जायेगी। इन नावों में प्रयुक्त लकड़ी की साईज की गुणवत्ता की जाँच कार्यपाकल अभियंता, भवन निर्माण विभाग, अररिया द्वारा किया जायेगा। नावों की लदान क्षमता का निर्धारण मोटरयान निरीक्षक, अररिया द्वारा किया जायेगा। नावों की गुणवत्ता जाँचोपरान्त सहित पाये जाने की स्थिति में नयी नाव का अलकतरा पेन्ट एवं रंग पेन्ट का कार्य आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जायेगा। दर निर्धारण के उपरान्त राशि का आकलन शेड्यूल ऑफ डिलीवरी के अनुसार राशि की मांग विभाग से की जायेगी।
- तकनीकी निविदा से साथ अपने प्रतिष्ठान की अनुज्ञप्ति, वाणिज्यकर, निबंधित वैट संख्या एवं आयकर विभाग का स्वच्छता प्रमाण पत्र पै नम्बर, श्रम अनुज्ञप्ति की प्रति सहित संलग्न करना आवश्यक होगा। निविदादाताओं को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनका प्रतिष्ठान/फार्म काली सूची में नहीं है। तकनीकी निविदा में सफल होने के पश्चात् ही निविदा खोली जायेगी।
- वित्तीय निविदा में नाव की दर तथा सभी तरह के कर को अलग-अलग अंकित करते हुए कुल दर को स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक है।
- पल्लेक नावों की लदान क्षमता का निर्धारण मोटरयान निरीक्षक अररिया से करवाने के पश्चात् नाव के

5. सामग्रियों की आपूर्ति हेतु किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।
6. नाव आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति आदेश के तुरंत बाद स्वीकारनामा (एग्जीमेंट) करना होगा कि निर्धारित समय पर उनके द्वारा निर्धारित मापदंड एवं गुणवत्ता/विशिष्टियों के अनुरूप नावों की आपूर्ति कर दिया जायेगा। नाव आपूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी एवं अग्रधन की राशि जप्त कर ली जायेगी।
7. स्वीकृत निविदादाताओं को छोड़कर शेष निविदादाताओं की जमानत राशि शीघ्र ही वापस कर दी जायेगी।
8. आपूर्ति की गई नावों के लिये भुगतान हेतु समर्पित विपत्र के विरुद्ध नियमानुसार बी0एस0टी0/टी0ओ0टी0 देय होगा, जिसका कटौती एक मुश्त भुगतान के समय की जायेगी। आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा अद्यतन कर चुकता प्रमाण-पत्र (Tax Clearance Certificate) प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् भुगतान लेखा प्रदायी (A/C Payee) चेक के माध्यम से किया जायेगा।
9. निविदा सम्बन्धित कोई भी आपूर्ति या दावा का निराकरण व्यवहार न्यायालय, अररिया के अधीन होगा। विशेष जानकारी के लिये जिला पदाधिकारी, अररिया के वेबसाईट dm-araria.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।
10. बिना कारण निविदा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

ह0/-

जिला पदाधिकारी,  
अररिया

ज्ञापांक.....276...../आ0प्र0, अररिया, दिनांक.....15/.....6...../2016

- प्रतिलिपि : सभी अंचल अधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अररिया जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, अररिया को विस्तृत प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- प्रतिलिपि : मोटरयान निरीक्षक, अररिया/वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, अररिया/कार्यपाकल अभियंता, भवन निर्माण विभाग, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया/आई0टी0 प्रबंधक, अररिया को सूचनार्थ प्रेषित एवं निदेश दिया जाता है कि जिला के अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि : नजारत उप समाहर्ता, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया/फारबिसगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

जिला पदाधिकारी,  
अररिया

ज्ञापांक.....276...../आ0प्र0, अररिया, दिनांक.....15/.....6...../2016

- प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी, बिहार राज्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अपने-अपने जिला में निविदा की सूचना का प्रचार-प्रसार कराने की कृपा की जाय।
- प्रतिलिपि : आयुक्त पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,  
अररिया